4322

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा........

संचिका संख्या–1प/विविध–14–30/2018/ 3045 /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

समाहरणालय मधेपुरा
10 MAY 2019

प्रेषक,

नजर हुसैन
उप सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–09/05/2019

विषयः– **पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों से आच्छादित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–1/एफ1–01/2017 श्र०सं०–1603 दिनांक–03.04.2019 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद संख्या–17372/2017 में पारित निर्णय।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रक्रीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों से आच्छादित किया जाना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद संख्या–17372/2017 में पारित निर्णय के अनुपालन की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–18.03.2019 को आहुत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सभी विभागों में संविदात्मक पदों पर कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि एंव प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत कर्मियों को आच्छादित करने की कार्रवाई से सम्बंधित प्रतिवेदन दिया जाना अपेक्षित है।

452
10/5/19

उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों जिला/प्रखंड/पंचायत स्तर पर एवं पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी सहायक, लेखापाल–सह–आई०टी०सहायक एवं कार्यापालक सहायक संविदा पर कार्यरत हैं। अतः उक्त पदों पर कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के प्रावधानों से आच्छादित करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाय।

1. कार्यरत कर्मियों का कर्मचारी भविष्य निधि का खाता भी अविलम्ब खोल लिया जाय।
2. इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 03 क्षेत्रीय कार्यालयों के पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

3. इसके लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर प्रखंड विकास पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी होंगे। कोड प्राप्त करना, कर्मियों को चिहिन्त करना, उनके भविष्य निधि खाते खोलना, समय–समय पर कटौती की राशि निर्धारित करना तथा इस क्रम में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व नोडल पदाधिकारी का होगा।
4. नोडल पदाधिकारी प्रत्येक कर्मी हेतु निर्धारित कटौती के अनुसार उनके मानदेय से कर्मी के अंश की कटौती तथा नियोक्ता (जिला पदाधिकारी) के अंश की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पोर्टल के माध्यम से नेट बैंकिग का उपयोग करते हुए ससमय जमा करना सुनिश्चित करेंगे, संबंधित रिटर्न आदि भी फाईल करेंगे तथा इस क्रम में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व उनका होगा।
5. भविष्य निधि की राशि को मात्र नेट बैंकिग के माध्यम से जमा किये जाने का प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया गया है। मात्र भविष्य निधि की राशि (कर्मचारी का अंशदान तथा नियोक्ता का अंशदान) को नेट बैंकिग के माध्यम से जमा करने हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर एकल रूप से संचालित खाता खोला जायेगा। मानदेय का भुगतान के क्रम में कर्मचारी के अंश की कटौती की राशि तथा नियोक्ता के अंश की राशि को इस खाते में अंतरित किया जायेगा। प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नेट बैंकिग सुविधा का उपयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पोर्टल के माध्यम से भविष्य निधि जमा करने की कार्रवाई की जायेगी।
6. जिला स्तर पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नेट बैंकिग युक्त इस खाता का एकल रूप से संचालन किया जायेगा।

कृपया इसे सुनिश्चित करते हुए संलग्न प्रपत्र में अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक– 31.05.2019 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)
उप सचिव

ज्ञापांक–1प / विविध–14–30 / 2018 / ...3045. / पं०रा० पटना,दिनांकः.09/ .05... / 2019
प्रतिलिपिः–सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत कार्यालय, मधेपुरा
ज्ञापांक - 636 / पं, दिनांक 31/05/19

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड पंचायत राज पदा० एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

(नजर हुसैन)
उप सचिव

31/5/19

जिला पंचायत राज पदा०
मधेपुरा